27.02.2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 9,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर के शताब्दी नगर तेलीबांधा में स्थित सामुदायिक भवन पर नियम विरूद्ध कब्जा कर अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बालको संयंत्र में नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला–राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औषधी उपकरण एवं सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव में दैनिक वेतन भोगी दर पर अनियमित नियुक्तियां किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(5) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा के बैंक की शाखाओं में खरीफ वर्ष 2023–24 में खरीदे गये धान के भुगतान की नगद राशि किसानों को प्राप्त नहीं होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(6) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिमोंरा, विकासखण्ड गुण्डरदेही में सामूहिक अनाचार किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली नगर के मध्य से 33 के.व्ही.हाईटेंशन लाईन को हटाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 2

(8) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, नगर पालिका परिषद सरायपाली में गौरवपथ निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(9) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, भर्ती व पदोन्नति में विषय बाध्यता लागू नहीं किये जाने एवं संकुल व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री मोतीलाल साहू, अजय चंद्राकर, सदस्य, राजधानी रायपुर की कौशल्या विहार (कमल विहार) कालोनी में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा स्थित सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री राजेश मूणत, सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियम विरूद्ध प्रचार–प्रसार में शासकीय धन का व्यय किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री राजेश मूणत, सदस्य, वर्ष 2022–23 में विज्ञापनों में नियम विरूद्ध व्यय किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, स्वीकृत अनुदान राशियों के हितग्राहियों को स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्रीमती भावना बोहरा, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, कवर्धा जिले में स्थित शक्कर कारखानों के प्रबंधन द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों की फसल का भुगतान नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, विकासखण्ड जशपुर में बालाछापर से आरा सकरडेगा मार्ग निर्माण से प्रभावित भू–स्वामियों को मुआवजा नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(19) श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य, केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव, ब्यास कश्यप, सदस्य, अकलतरा थाना अंतर्गत ग्राम–चंगोरी के गौठान में पशुओं की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(21) सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी, सदस्य, रायपुर में गौवंश एवं नशीले पदार्थों की तस्करी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में राशन कार्ड नवीनीकरण से आम जनता को परेशानियां होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(23) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, सदस्य, कोल ब्लॉक रायगढ़ में कोल परिवहन में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, जिला रायपुर के सड्डू–बरौदा मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, रि एजेंट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश में भूमियों के शुल्क पंजीयन में नियम विरूद्ध नगद पंजीयन शुल्क लेने व पंजीयन नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, राजधानी रायपुर स्थित डॉ.अम्बेडकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) सर्वश्री भोलाराम साहू, राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, भाठागांव में भू–माफियाओं द्वारा चारागाह भूमि को गलत तरीके से कृषि भूमि में परिवर्तित कर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री आशाराम नेताम, सदस्य, कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बासनवाही मांडाभर्री व अन्य ग्रामों में सिंचाई हेतु टैंक एवं नहर का निर्माण नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, रायपुर स्थित गांधी उद्यान का नवीनीकरण कार्य धीमी गति से होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, बालोद जिला अंतर्गत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा किसानों को मिलने वाली योजनाओं का कियान्वयन सही ढंग से नहीं किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली में अवैध शराब की बिकी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(33) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, जिला बेमेतरा, साजा थाना अंतर्गत मोहतरा निवासी के लापता होने पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(34) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन किये पोल्ट्री उद्योग की स्थापना किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(35) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, जिला बिलासपुर अंतर्गत कोटा के छेरकाबांधा में वेलकम डिस्टलरी फैक्ट्री द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को डम्प कर प्रदूषण फैलाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, प्रधानमंत्री वित्तीय प्रबंधन योजना के नाम पर बैंकों में खाता खोलने की कार्यवाही में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, बोरियाखुर्द कमल विहार रायपुर में स्थित गजराज बांध तालाब को पूर्ण संरक्षित कर गहरी और चौड़ीकरण नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, प्रबोध मिंज, सदस्य बालको ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादित राखड़ को बिना अनुमति के हसदेव नदी के किनारे डाला जाकर जल प्रदूषण किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में फूड पार्क की स्थापना नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बिना मांग के लैब सामग्री भेजे जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, विकासखण्ड बगीचा की ग्राम–पंचायत भड़िया में कन्या छात्रावास नहीं खोलने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(42) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, विकासखण्ड बगीचा की ग्राम–पंचायत सोनगेरसा, पटेलपारा में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(43) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, नगर पालिक परिषद चांपा में पी.आई.सी. द्वारा धरसानाला की जमीन पर कब्जा करने वाले बिल्डर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में व्याप्त अनियमितता की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री प्रेमचन्द पटेल, सदस्य, जिला चौकी–मोहला–मानपुर के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पैतृक जमीन को अन्य व्यक्ति के नाम किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(46) श्री प्रेमचन्द पटेल, सदस्य, शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में नवजात शिशु की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री जनक ध्रुव, सदस्य, जिला गरियाबंद के गरियाबंद से छुरा मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री रिकेश सेन, सदस्य, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को मकान का मालिकाना हक नहीं दिये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को महतारी एक्सप्रेस 102 बोलेरो गाड़ी से संचालित किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री संदीप साहू, सदस्य, राजधानी रायपुर के रिंग रोड नंबर 03 के मध्य ग्राम–टेकारी में स्थित रेल्वे ओव्हर ब्रीज की स्थिति अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य राज्य वन सेवा के लोक सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(52) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, प्रदेश में छात्रावास एवं आश्रमों के संचालन में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जिला–सक्ती अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अड़भार में नियुक्त व्याख्याता द्वारा बिना कार्य के वेतन लिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश में बायो एथेनॉल प्लांट की स्थापना में विलंब किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(55) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को उद्योगपतियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अन्य व्यक्तियों के नाम पर खरीदी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(56) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, कवर्धा जिले के थाना कुकदुर अंतर्गत ग्राम–नागदबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न बैकों द्वारा कृषकों को कृषि संबंधी ऋण दिये जाने हेतु रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(58) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय रायपुर में व्याप्त अनियमितता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(59) श्री जनक ध्रुव, सदस्य, बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नलकूप खनन में शासकीय अनुदान की राशि में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री रिकेश सेन, सदस्य, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भू–माफिया द्वारा तेल्हा नाले को पाटकर बेचे जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश में प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम में स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाईट हाईमास्क लाईट लगाये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के हितों की रक्षा के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(64) श्री राजेश मूणत, सदस्य, तेलीबांधा से टाटीबंध ओव्हर ब्रीज निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(65) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर शहर में शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्य में अनयिमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(67) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला–राजनांदगांव रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट विद्युत यांत्रिकी विभाग द्वारा भवन निर्माण में विद्युतीकरण सड़कों के विद्युत पोल विस्थापन में लापरवाही किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(68) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर नगर के मास्टर प्लान में मापदण्ड का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(69) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भारी माल वाहक ट्रकों के आवागमन से सड़क जर्जर हाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(70) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोगरगांव विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारी विहीन होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 7

(72) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(73) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, ग्राम केन्द्री के उप सरपंच पर जानलेवा हमला किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(74) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, गरियाबंद जिले के अंतर्गत रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(75) श्री राजेश मूणत, सदस्य, खारून रिवर फ्रंट हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(76) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(77) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री रामकुमार यादव, सदस्य, प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में डिग्री डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं को रोजगार नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(78) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, जल संसाधन विभाग में उप अभियंताओं की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(79) श्री सुशांत शुक्ला, श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों द्वारा मनमानी किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(80) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को स्थायी तथा अस्थायी पट्टों के वितरण के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(81) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हल्का पटवारियों के द्वारा पटवारी प्रतिवेदन निश्चित समय सीमा में तैयार नहीं किये जाने के कारण प्रकरण लंबित होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(82) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में 2018 के पूर्व 60 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी की मान्यता नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(83) श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला जांजगीर– चांपा के अंतर्गत के.एस. के महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा हेतु भूमि अर्जित भू–स्वामियों को मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(84) श्री आशाराम नेताम, सदस्य, कांकेर जिले में अवैध शराब बिक्री किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(85) डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, राज्य में उर्वरक के नाम पर रासायनिक पदार्थों का विक्रय किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(86) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, नगर पालिका खैरागढ़ अध्यक्ष के लेटरपैड का दुरूपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(87) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, बिलासपुर जिले में हत्या के विचाराधीन अपराधियों के आवास को नगर निगम द्वारा बुलडोजर लगाकर तोड़ दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(88) सर्वश्री देवेन्द्र यादव, द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला कबीरधाम ग्राम लालपुर निवासी की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(89) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, राजनांदगांव एवं खैरागढ़ छुईखदान जिले में उप संचालक द्वारा कीटनाशक नियम के विरूद्ध गलत तरीके से सेंपल लिया जाकर जांच करने भेजे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(90) श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य, थाना अम्बिकापुर की मणिपुर चौकी अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(91) डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का गलत उत्तर दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(92) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(93) श्री रिकेश सेन, सदस्य, आई.टी.आई. प्रशिक्षण अधिकारी हेतु चयनित अभ्यर्थी के अपात्र होने की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(94) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, जिला महासमुन्द ग्राम टेंगनपानी, तहसील सराईपाली निवासी द्वारा आम जनता की जमीन को डरा–धमका के अपने नाम किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(95) डॉ चरणदास महंत, सदस्य, जिला कोरिया के ग्राम बैमा में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(96) श्री विनायक गोयल, सदस्य, जिला बस्तर, विकासखण्ड लोहड़ीगुण्डा, ग्राम उसरीबेड़ा में एक बच्ची की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 9

(97) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, जिला जशपुर अंतर्गत हल्दीमुण्डा जल व्यपवर्तन ईब नदी पर बने बांध की नहर का अधूरा निर्माण एवं मरम्मत नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(98) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, जिला जशपुर ग्राम पंचायत सन्ना के कोरवा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(99) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आबंटित भूमि को भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(100) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, विकासखण्ड कसडोल क्षेत्र अंतर्गत देवरूम से देवगांव पहुंच मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(101) सर्वश्री विक्रम मंडावी, लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा, सदस्य, बस्तर संभाग में नक्सली घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(102) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति को भर्तियों में अपात्र किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(103) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, खनिज न्यास मद में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(104) श्री रोहित साहू, सदस्य, रायपुर स्थित कौशल्या माता विहार (कमल विहार) में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(105) श्री विनायक गोयल, सदस्य, थाना निरीक्षक लोहण्डीगुड़ा के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण कार्य किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(106) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, कार्यपालन अभियंता बलरामपुर द्वारा निविदा में परिवर्तन कर अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य, मोहला–मानपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सीतागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम कुम्हली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iii) ग्राम करमतरा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम वासड़ी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(v) ग्राम मरकेली के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

क्रमशः 10

(vi) ग्राम सीतागांव के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(vii) ग्राम देववाड़वी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(viii) ग्राम मंडावीटोला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ix) ग्राम मडियानवाड़वी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(x) ग्राम सिवनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(xi) ग्राम मदनवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(xii) ग्राम खड़गांव में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने,

(xiii) ग्राम पेंदोड़ी से दोड़के आर.डी. 2050, 4000 तथा 5650 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(xiv) ग्राम पारड़ी से जंगलटोला आर.डी. 220 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(xv) ग्राम मरकाटोला में अपूर्ण जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण करने,

(2) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम सरोधी से बिपतपुर–समनापुर मार्ग निर्माण करने,

(ii) ग्राम रामपुर से बैगा साल्हेवारा व्हाया बरवाहीटोला मार्ग निर्माण करने,

(iii) ग्राम अमलीपारा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम बाजार अतरिया में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(3) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सदस्य, सामरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम नरसिंहपुर चौरागांव मार्ग पर महान नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम त्रिपुरी में लावा नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(4) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, जिला–बीजापुर अंतर्गत–

(i) ग्राम केशकुतुल में डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम मंगापेठा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम तारूड़ में तालाब निर्माण करने,

(5) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम मुडहीपार में महाविद्यालय खोलने,

(ii) गातापार (जंगल)के उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(6) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) राजिम त्रिवेणी संगम में एनीकट निर्माण करने,

(ii) ग्राम सोरिद में आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों की स्वीकृति,

(iii) ग्राम नवापारा (को) में आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों की स्वीकृति,

(7) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गट्टासिल्ली में महाविद्यालय खोलने,

क्रमशः 11

(8) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डौण्डीलोहारा में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने,

(9) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य –

(i) खल्लारी मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण करने,

(ii) खल्लारी में महाविद्यालय खोलने,

(10) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम सैहामालगी से मरका तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम करपीकला से अमलडीहा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम हथमुड़ी से छितापार कला तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने

(iv) ग्राम रामपुर (ठाठापुर) से गौरमाटी (हरदी, रगरा, भीखमपुर होते हुए) तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने तथा

(v) ग्राम पीपरटोला से छिंदीडीह तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय

4. संकल्प

30 मिनट (1) श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

30 मिनट (2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

5. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा — प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं तथा उसके रोकथाम के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 27 फरवरी, 2024